दिनांक :- 25-07-2020

कॉलेज का नाम :- मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ. फ़ारूक़ आज़म (अथिति शिक्षक)

स्नातक :- प्रथम खंड (कला)

विषय :- प्रतिष्ठा इतिहास

इकाई :- तीन

पत्र :- प्रथम

अध्याय :- गुप्त काल

प्रांतीय शासन :- साम्राज्य का विभाजन प्रांतो में हुआ था जिसे भुक्ति कहा जाता था। यह इस पर उपरिक नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था।

भुक्ति का अन्य नाम देश तथा अवनी भी मिलता है। गुप्त कालीन अभिलेखो में सौराष्ट्र को देश कहा गया है। जिस पर गोप्ता नामक अधिकारी स्थापित होता था जैसे गोप्ता

Scanned with CamScanner

पर्यन्त। माना जाता है कि देश भी भुक्ति के समान लेकिन पृथक प्रांतीय ईकाई होता था। कुमारगुप्त के समय पुण्ड्रवर्धन भुक्ति का प्रशासक चिरोदत्त था तथा तीर भुक्ति में महाराज गोविन्द गुप्त था। वर्द्धमान भुक्ति का प्रशासक विजयसेन था। उपरिक के पद पर प्रायः राजपरिवार से संबंध व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था यद्यपि अन्य योग्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति संभव थी। नियुक्ति बहुधा उपरिक द्वारा ही की जाती थी। विशेष मामलों में ही राजा स्वंय हस्तक्षेप करता था। दामोदर ताम्रलेख के अनुसार पुण्ड्रवर्धन भुक्ति के कोटिवर्ष विषय में कोटिवर्ष नामक कुमारामात्य नियुक्त था। क्रिमिला विषय बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित था।

विषयपति का भी अपना कार्यालय होता था। इस कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी पुस्तपाल होता था। समुद्रगुप्त काल में एक अधिकारी गोपासरगिण का नाम मिलता है

अक्षपटलाधिकृत के रूप में कार्य कर रहा था यह खातो

की देखभाल करता था तथा यह कर्मचारियों की सुरक्षा

निधियों से शाही देनदारी को वसूल करता था। इसके अ

लावा कृषि लाभ का निर्धारण करता था

गुप्तकाल में साधनिक नामक एक अन्य अधिकारी की

चर्चा मिलती है जो ऋण तथा जुर्माने का कार्य संभालता था

विषयपति एक समिति के माध्यम से प्रशासन चलाता था

जो नगर समिति की तरह ही होता था।

विषय समिति के सदस्य विषय महत्तर कहे जाते थे। फरीद

पुर ताम्रपत्र से विषय समिति की संख्या २० मिलती है। विषय

के अभिलेखागार को अक्षपटल कहा जाता था जो महाक्षपट

लिक के अधीन था इसके अंतर्गत अनेक लिपिक होता था

जिसे दिविर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कारणिक(लेखा

धिकारी तथा सर्वाध्यक्ष भी होता था।

Scanned with CamScanner

कुलपुत्र सर्वाध्यक्ष के अधीन कार्य करता था। इसका मुख्य कार्य दुराचार रोकना था। विषय के नीचे ग्रामो का समूह होता था जो पैठ के नाम से जाना जाता था। बिहार क्षेत्र में नंदी विथि स्थापित था। बंगाल क्षेत्र में अनेक वीथि की जानकारी मिलती है प्रशासन की सबसे छोटी ईकाई ग्राम होती थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा की मदद से मुखिया (ग्रामिक) या महत्तर चलाता था। इस ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमण्डली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखने वाला अधिकारी चौरोद्धारणिक था।

ग्रामीण क्षेत्रहरि शायद किसी ऐसे गाँव का प्रधान होता था जो राजा को माल ढोने वाले श्रमिकों की सेवा उपलब्ध करवाता था। दामोदर ताम्रपत्र में ग्राम सभा के निम्नांकित पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है जैसे महत्तर (उत्तर बिहार) अष्टकुलाधिकारी ग्रामिक, कुटुम्बिन आदि।

Scanned with CamScanner

महत्तर शब्द से ही आगे महतो शब्द का विकास हुआ !
बंगाल में महत्तरो की अनुमति के बिना धार्मिक प्रयोजन से भी जमीन की बिक्री नही सकती थी।
प्रमुख नगरो मे नगर पालिकाएँ होती थी। इसका प्रधान अधिकारी पुरपाल होता था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि गिरिनार नगर का मंत्री चक्रपालित था। नगर प्रशासन के लिये दो प्रकार की संस्थाएँ होती थी।
① नगर परिषद (अधिस्थानाधिकरण) ② जिला परिषद- विषय अधिकर) नगर परिषद में चार वर्गो के प्रतिनिधियो को प्रतिनिधित्व मिला था जैसे नगर श्रेष्ठि, सार्थवाह, प्रथम कुलिक प्रथम कायस्थ ! गुप्त काल में वैशाली एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से प्राप्त अधिकांश सिक्के श्रेष्ठियो, सार्थवाहो तथा कुलिको के निगम के है।
न्याय प्रशासन- गुप्तकालीन लेखो में न्याय विभाग का उल्लेख

नहीं मिलता है किंतु कुछ समकालीन स्मृतियों यथा नारद तथा बृहस्पति स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्त में न्यायिक प्रणाली व्यवस्थित थी। गुप्तकाल में ही प्रथम बार दिवानी तथा फौजदारी कानूनों की विशद व्याख्या की गई तथा इसमें भेद किया गया इसके साथ उत्तराधिकारी के संबंध में भी विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई। सम्राट ही अंतिम न्यायधीश होता था जिसके साथ एक मुख्य न्यायधीश तथा अनेक अन्य न्यायधीश रहते थे। व्यापारियों तथा व्यावसायियों के अपने न्यायालय होते थे जिसे पूग एवं कुल कहा जाता था। ये अपने सदस्यों के विवादों का निबटारा करते थे। पूग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की सीमित होती थी तो कुल समान परिवार के सदस्यों की सिमित होती थी। न्यायलयों में प्रमाण भी लिया जाता था। प्रमाण के अभाव में दिव्य परिक्षाएँ ली जाती थीं जो अग्नि, जल विष तथा तुला से ही हो सकती थी।

न्याय प्रणाली में प्रमाण के रूप में स्थानीय तत्वों का समायोजन किया जाता था मनु ने दो परीक्षाओं का विधान किया है तो याज्ञवल्क्य तथा नारद ने पाँच बृहस्पति ने नौ परीक्षाओं की बात की है। संभवतः न्यायधीशों को महादण्डनायक, दण्डनायक अथवा सर्वदण्डनायक कहा जाता था ! प्रांतों में यह कार्य उपरिकों द्वारा तथा जिला स्तर पर विषयपतियों द्वारा किया जाता था। नालंदा तथा वैशाली से कुछ न्यायालयों की मुद्राएँ मिली हैं जिनके ऊपर न्यायाधिकरण धर्माधिकरण तथा धर्मशासनाधिकरण अंकित है।

चीनी यात्रा फाहियान के अनुसार दण्डविधान कम कठोर था और मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था जबकि अर्थशास्त्र में मृत्युदंड का प्रावधान था। गुप्त काल में अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदण्ड की अपेक्षा आर्थिक जुर्माना अधिक महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए शब्दों में बता दिया गया है